उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या-87/2023/1399(1)/2023/1429915(1)/12-2099/151/2021
लखनऊ : दिनॉक: 18 अक्टूबर, 2023

संशोधन-पत्र

शासनादेश संख्या-81/2023/1399/2023/1429915/12-2099/151/2021, दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्रॉप रेज्ड्यू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत, प्राप्त कृषि यंत्र बिलों के भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 03.10.2023 के प्रस्तर-2(i) में दी गयी व्यवस्था को विलोपित करते हुए में शासनादेश संख्या-1781/12-2-2021, दिनांक 07.10.2021 के प्रस्तर-6(i) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश दिनांक 03.10.2023 के प्रस्तर-2(i)	शासनादेश दिनांक 07.10.2021 के प्रस्तर-6(i)
इन यंत्रों का भुगतान प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना से, उक्त योजना की अनुदान प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।	इन यंत्रों का भुगतान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM योजना) से, उक्त योजना की अनुदान प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष नियम व शर्ते यथावत रहेंगी।

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-87/2023/1399(2)/2023/1429915(2)/12-2099/151/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।